<u>न्यायालय श्री अनुराग गौरव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी</u>
<u>दाउदनगर, औरंगाबाद</u>
<u>CIS NO. –5612/2014 GR-2427/2007</u>
<u>UPAHARA PS-36/2007, TR NO-2870/2025</u>

<u>आदेश</u>

10.07.2026 :– वाद निश्चित तिथि को उपस्थिति हेतु प्रस्तुत हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं कि वाद के एक मात्र अभियुक्त **कौशल शर्मा** के उपस्थिति हेतु दिनांक 19.09.2025 को गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया जा चुका हैं। जिसके तामिला पर अभियुक्त कौशल शर्मा के मृत्यु करीब बारह वर्ष पहले हो चुकी हैं लिखकर लौटाया गया हैं जो अभिलेख पर संलग्न हैं, अतः मृत अभियुक्त कौशल शर्मा के विरूद्ध अभियोजन कि अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं कि मृत अभियुक्त कौशल शर्मा प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त थे जिनके विरूद्ध कार्रवाई समाप्त की जा चुकी हैं अतः फलस्वरूप प्रस्तुत वाद को तद्नुसार निष्पादित किया जाता हैं। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाने पर अभिलेख को नियामनुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

न्या0 दं0 प्र0 श्रेणी